न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—13/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/13)

1. केसर सिंह पुत्र स्व.देवी जाति रावत निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

अपीलांटस

बनाम

1. पतासी पत्नी हरिसिंह
2. इंद्रा पुत्री हरिसिंह
3. सुरेश पुत्र हरिसिंह
4. मतरा पुत्री हरिसिंह
5. प्रभा पुत्री हरिसिंह
6. श्यामसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावत,निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।
8. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिए सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
1. पन्ना पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम मंगरी राजगढ तहसील, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 53/2021

उपस्थितः—

1. श्री शौकिन्द लाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06.
3. श्री, हरिसिंह गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 7

निर्णय

दिनांकः—20.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, द्वारा प्रकरण संख्या 53/2021 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 28.10.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी संख्या 1 से 6/वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम राजगढ में स्थित है जिसका चौसाला खसरा नम्बर 5430 रकबा 4—18—0, 5433 रकबा 8—9—0 के वर्किंग खसरा नम्बर 6306 रकबा 4—18—0, 6309 रकबा 8—9—0 के हाल खसरा नम्बर 2578/3115 रकबा 0.79, 2591 रकबा 1.37 पर वादीगण के पति/पिता हरिसिंह उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू दिनांक से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पूर्व ही काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी काबिज काश्त होने के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1957 के तहत उन्हें दिनांक 09.07.1984 को नियमानुसार आवंटन की गई किंतु उक्त आवंटन की पालना में राजस्व कार्मिकों द्वारा जमाबंदी में अमल दरामद नहीं किया गया। आवंटन दिनांक से वादीगण/पूर्वज उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। हाल जमाबंदी बनाते समय आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम दर्ज नहीं कर त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। वादीगण के पति/पिता को हुए उक्त आवंटन को किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी है। साथ ही उक्त आवंटन निरस्त नहीं किया गया है। आवंटन आज दिनांक तक बहाल है। अतः हाल खसरा नमब्र 2578/3115 रकबा 0.79, 2591 रकबा 1.37 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावें वाद पत्र रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। राजस्थान सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि साबिक खसरा नम्बर व हाल नम्बर सिवायचक दर्ज है। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है एवं उक्त वाद डिक्री करते हुए अपीलार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड कर दी गई जबकि अपीलार्थीगण द्वारा खातेदार काश्तकारी हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया था।जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 53/2021 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 28.10.2021 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु पर बहस करते हुए बताया कि विवादित आराजीयात अपीलार्थी के पिता देवी के कब्जे काश्त की आराजीयात रही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 अपीलार्थी के सगे भाई हरिसिंह के वारिसान है इस प्रकार उक्त आराजीयात पर हरिसिंह के समान ही अपीलार्थी का भी बहिस्सा बराबर है तथा प्रार्थी का कब्जाकाश्त साबित है जिसकी जानकारी होने के उपरान्त भी अवैध रूप से वाद डिक्री किया गया है जो अपील एवं दस्तावेजो से बखुबी साबित है जिसमें प्रार्थी को जानबूझ कर पक्षकार ही नहीं बनाया तथा आपसी मिली भगत से अपने पक्ष में निर्णय पारित करवा लिया जिस कारण प्रार्थी अपने पुश्तैनी एवं पिता से प्राप्त विरासती हक अधिकार से महरूम हो गया है इस कारण प्रार्थी निर्णय/डिक्री दिनांक 28.10.2021 से पीड़ित एवं व्यथित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजीयात अपीलार्थी के पिता देवी के कब्जे काश्त की आराजीयात रही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 अपीलार्थी के सगे भाई हरिसिंह के वारिसान है इस प्रकार उक्त आराजीयात पर हरिसिंह के समान ही अपीलार्थी का भी बहिस्सा बराबर है तथा अपीलांट का कब्जाकाश्त साबित है। वादीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद बाबत् अपने आवंटन दिनांक के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी काश्त नही की गयी थी तथा आंवटन नियमों के अनुसार उक्त आवंटन स्वतः ही निरस्त हो चुका था तथा वादीगण द्वारा अपने उक्त राजस्व वाद के साथ विवादित आराजी बाबत् काश्त सम्बन्धि खसरा परिवर्तनशील तथा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है इन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत नही है। जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांकःक.अ./राजस्व/एफ0–12(सी(2)13/291 दिनांक 27.09.2013 को विधिवत रूप से प्राधिकरण को हस्तातंरित की गई थी तथा वादीगण द्वारा उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व वाद वावत् अविधिक रूप से अपीलांट को बिना समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये विधि विरूद्ध तरीक से उक्त आदेश दिनांक 28.10.2021 पारित कर दिया है। वादीगण आवंटन आदेश की पालना नहीं करने के आधार पर वाद लाये है जबकि आवंटन हेतु पृथक से नियम है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् लागु होते है तथा आवंटन आदेश की पालना हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद नहीं लाया जा सकता है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 निरस्त फरमायी जावे।

6. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु पर कथन किया कि अपीलांट का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है तथा ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 के पिता के भाई के होने के कथन पर प्रस्तुत की है। विवादित आराजी से अपीलांट का किसी प्रकार से वास्ता नही है ना ही किसी प्रकार से पीडित है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

7. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादीगण के पति/पिता हरिसिंह पुत्र देवी सिंह को चौसाला खसरा नम्बर 5430 रकबा 4–18–00 व 5433 रकबा 08–09–00 को आंवटन दिनांक 09.07.1984 को हुआ था। उक्त आवंटन की पालना राजस्व अभिलेख में नहीं की गयी। चौसाला खसरा नम्बर 5430 रकबा 04–18–00 के वर्किंग खसरा नम्बर 6306 व हाल खसरा नम्बर 2578/3115 रकबा 0.79 व 5433 रकबा 08–09–00 के वर्किंग खसरा नम्बर 6309 व हाल खसरा नम्ब्र 2591 रकबा 1.37 है0 सिवायचक खातेद में है किन्तु आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त वर्तमान में है।वादीगण व स्वतंत्र गवाह के बायन से भी वादी का कब्जा होना साबित था तथा तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा भी यह साबित है कि विवादित आवंटित भूमि पर कब्जा वादीगण का ही है। उक्त आराजी हरिसिंह को 1984 में आवंटित हुयी थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में 14(4) का प्रकरण विचाराधीन नही है तथा कब्जा काश्त वादीगण का ही साबित हुआ था। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि का आंवटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नहीं किया जाता है तब तक आवंटन वैध रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटित आराजी पर आवंटन आदेश की पालना सुनिश्चित होने के पश्चात ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद विधि सम्मत स्वीकार किया जाकर वादीगण को गैर खातेदार घोषित किया गया है, जो विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट का विवादित आराजी से किसी प्रकार का वास्ता नही है तथा ना ही कब्जा काश्त है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 को यथावत् रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र व अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नही है क्योंकि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांकःक.अ. /राजस्व/एफ0–12(सी(2)13/291 दिनांक 27.09.2013 को विधिवत रूप से प्राधिकरण को हस्तातंरित की गई थी तथा वादीगण द्वारा उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया था इसके बावजूद विवादित आराजी बाबत् वादीगण का वाद को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अपीलांट किस प्रकार से पीड़ित पक्षकार यह बताने में असमर्थ रहे है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 08 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र/अपील में कथन किया कि राजकीय अभिभाषक द्वारा की गई बहस को हमारी बहस मानते हुए आदेश पारित किये जावे।

10. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियो,लगान रसीदो अनुसार आंशिक कब्जा होना प्रतीत होता है इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु को स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

11. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में विवादित आराजीयात राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदियो, खसरा गिरदावरियों, लगान, रसीदो, मौका रिपोर्ट एवं बेदखली की कार्यवाही से कब्जा अपीलांट का माना है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर वाद का निर्णय गुणावगुण पर करें।

12. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा प्रकरण संख्या 53/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद पत्र में अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः वाद गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर